कार्यालय कलेक्टर(महिला एवं बाल विकास शाखा) कोरबा छत्तीसगढ़

निविदा शर्ते

विषय :– जिले की आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी के लिए प्री– स्कूल किट का क्रय वर्ष 2012–13

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 8624/मबावि/आईसीडीएस–4/2012–13 रायपुर दिनांक 24.01.2013 में निहित प्रावधानांतर्गत जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कोरबा के अन्तर्गत 10 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में स्वीकृत 2265 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 239 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए "प्री–स्कूल किट" आपूर्ति करने हेतु उत्पादनकर्ता/आपूर्तिकर्ता इच्छुक फर्म से निविदा लिफाफों में दिनांक 28.02.2013 अपरान्ह 2.00 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला प्रकोष्ठ–कोरबा के स्थित कार्यालय में आमंत्रित है। निविदा शर्ते निम्नानुसार है :–

1 "प्री स्कूल किट" क्रय हेतु परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	एकी.बा.वि.परियोजना	आं.बा. केन्द्र संख्या	मिनी आं.बा. केन्द्र संख्या
1	कोरबा (श.)	223	0
2	कोरबा (ग्रा.)	315	0
3	करतला	195	12
4	कटघोरा	274	0
5	पाली	348	40
6	पोड़ीउपरोड़ा	266	71
7	पसान	185	22
8	हरदीबाजार	170	15
9	बरपाली	167	13
10	चोटिया	122	66
	योग	**2265**	**239**

2. क्रयादेश जारी करने की तिथि को संचालित आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्यानुसार उपरोक्त दर्शित संख्या में कमी किया जा सकता है ।
3. प्री–स्कूल किट में निहित सामग्रियों की सूची उल्लेखित है। निविदादाता को इन्हीं सामग्रियों का पृथक–पृथक दर अंकित करते हुए कुल दर लेख कर निविदा प्रस्तुत करना होगा। विभागीय बंटन सीमा अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए रू. 1000/– तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए 250/– रूपये प्रति किट निर्धारित है ।
4. निविदादाता को दो बंद लिफाफा (अ एवं ब) में निविदा प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा "अ" में अमानत राशि, छ.ग. राज्य के किसी भी जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र से पंजीयन प्रमाण–पत्र व सक्षमता प्रमाण–पत्र, वाणिज्यीक कर विभाग से पंजीयन प्रमाण–पत्र (टीन नम्बर) तथा प्री–स्कूल किट में उल्लेखित सामग्रियों के उत्पादनकर्ता/अधिकृत विक्रेता का प्रमाण–पत्र आयकर एवं वाणिज्यिक कर विभाग से "चुकता प्रमाण पत्र" का अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा । सेम्पल किट रहित प्राप्त निविदाएँ नहीं खोली जायेगी । निविदा लिफाफा "अ" पहले खोला जायेगा, जिसमें निहित शर्तो को पूर्ण करने एवं वैध पाये जाने पर ही लिफाफा "ब" खोला जायेगा ।
5. निविदादाता को निविदा लिफाफा के साथ सेम्पल किट प्रस्तुत करना होगा, जो क्रय समिति के अवलोकन पश्चात वापसी योग्य होगा, किन्तु जिन निविदादाता का निविदा स्वीकृत होगा, उनका सेम्पल सामग्री के भुगतान तिथि से आगामी छः माह तक कार्यालय में रखा जायेगा।

6. सभी **"कर"** सम्मिलित करके निविदा दर प्रस्तुत करना होगा, निविदा में उल्लेखित दर के अतिरिक्त अन्य कोई स्वत्व देय नहीं होगा ।
7. निविदा मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 28 फरवरी 2013 अपरान्ह 2.00 बजे तक कार्यालयीन दिवसों में प्रस्तुत किया जा सकता है । उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे निविदा लिफाफे जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता स्वयं/प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
8. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में तत्काल 50/— के स्टाम्प पर सामग्री आपूर्ति करने बावत् सहमति पत्र/अनुबंध संपादित करना होगा तथा सामग्री की आपूर्ति क्रयादेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर क्रयादेश में निर्धारित किए गए स्थल तक पहुंचाकर देना होगा। निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदाय नहीं करने पर भुगतान राशि में आनुपातिक कटौती की जायेगी अथवा क्रयादेश निरस्त किया जा कर अमानत राशि छत्तीसगढ़ शासन के पक्ष में राजसात किया जा सकेगा ।
9. निविदादाता फर्म द्वारा प्रदायित सामग्रियों का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय क्रय समिति के द्वारा किया जायेगा। भौतिक सत्यापन में सेम्पल से आपूर्ति हुए सामग्री का मिलान नहीं होने पर नियमानुसार कटौती की जायेगी या निरस्त किया जायेगा ।
10. एक निविदादाता का एक ही निविदा स्वीकार किया जायेगा ।
11. निविदादाता को अमानत राशि के रूप में राशि रू. 69743/—(उन्हतर हजार सात सौ तिरालिस रूपये मात्र) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों से जारी बी.सी./डी.डी., जो जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला प्रकोष्ठ—कोरबा के पक्ष में जारी हुआ हो, प्रस्तुत करना होगा ।
12. आपूर्ति होने पर सामग्री के कमी, क्षति या हानि के लिए कार्यालय/विभाग जिम्मेदार नहीं होगा ।
13. निविदा स्वीकृत होने पर आपूर्ति की गई सामग्री का निर्धारित संस्था से बच्चों के उपयोग हेतु उपयुक्त**(नान टॉक्सिक)** होने का एवं **धारदार नहीं** होने का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. निविदादाता को सामग्री के साथ दो प्रतियों में देयक जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला प्रकोष्ठ—कोरबा को प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान आबंटन उपलबधता के आधार पर किया जायेगा ।
15. निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जायेगा कि निविदादाता को निविदा की सभी शर्ते मान्य व स्वीकार्य है ।
16. विवाद की स्थिति में कलेक्टर कोरबा का निर्णय अंतिम व सभी पक्षों का मान्य होगा ।
17. निविदाताओं को शासन के वाणिज्यकर विभाग से जीवित पंजीयन प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य एवं पिछले वर्ष का कर समासोधन पत्रक एवं फार्म 16 प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
18. चयनित निविदादाता द्वारा सर्वप्रथम जिले में सामाग्री प्रस्तुत करेगें। भौतिक सत्यापन पश्चात् जिले के 10 बाल विकास परियोजना सामाग्री स्वयं के व्यय पर भेजना अनिवार्य होगा।
19. निविदादाता द्वारा ऐसे सेम्पल प्रस्तुत किया जावे जो 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी हो।
20. आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्रपत्र **भाग 'ब'** में उल्लेखित सामाग्री का दर 1000/— (एक हजार) निर्धारित है। एवं प्रपत्र **भाग 'ब'** मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में उल्लेखित सामाग्री का दर रूपये 250/— (दो सौ पच्चास) निर्धारित है। इसी दर पर सामाग्री विवरण सूची के अनुसार प्रत्येक सामाग्री के लिए दर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा ।
21. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत सामाग्री की मात्रा का निर्धारण जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा किया जायेगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला प्रकोष्ठ — कोरबा (छ.ग.)